कार्यालय प्राचार्य/जॉच अधिकारी शास0 मार्तण्ड उ0 मा0 वि0 क्र0–1 (उत्कृष्ट) जिला रीवा
(म0प्र0)
e-mail martand1rwa@yahoo.com.
फोन– 07662-256717 फैक्स-07662-253429

क्रमांक/2012/जॉच/76

रीवा दिनांक– 27/06/2012

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला रीवा (म0प्र0)

विषयः– श्री देवेन्द्र कुमार पाठक प्राचार्य शा.कन्या हाई स्कूल डभौरा जिला रीवा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत का जॉच प्रतिवेदन।

संदर्भः– भवदीय कार्या. के पत्र क्र./सर्त./जॉच/राज/12/1692 रीवा दिनांक–02/06/12

विषयांतर्गत शिकायत संदर्भित पत्र से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्राप्त हुई है प्राप्त शिकायत के संबंध में इस कार्यालय से पत्र जारी कर संबंधिजन को जॉच स्थल में अभिलेखो के साथ दिनांक–14/06/12 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये तदानुसार श्री पाठक नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित आये भवदीय कार्यालय से प्राप्त शिकायत में लिखित बिन्दुओं के संबंध में प्रश्नावली तैयार कर उनसे जवाब चाहा गया है।

**शिकायतकर्त्ता ने श्री पाठक के विरुद्ध बिना विभागीय अनुमति प्राप्त किये एम.एस.सी. (भैतिक शास्त्र) की डिग्री हासिल तथा निमित रुप से विद्यालय में उपस्थित रहकर एंव महाविद्यालय में भी नियमित रुप से प्रीवीएस एवं फाइनल की परीक्षा दी है ऐसा शिकायतकर्त्ता का लेख है ।**

उपरोक्त शिकायत के संबंध में दिये गये प्रश्नावली के जवाव में श्री पाठक ने लेख किया है कि मेरी प्रथम नियुक्ति 05/02/1987 की है तथा नियुक्ति के समय मेरी शैक्षणिक योग्यता बी.एस.सी. (गणित) है तथा एम.एस.सी. (प्रथम वर्ष भौतिक शास्त्र) में अध्ययनरत रहा हूँ नियुक्ति के पूर्व ही श्री पाठक एम.एस.सी. प्रीवीएस में अध्ययनरत थे जिसके लिए योग्यतावृद्धि हेतु नियुक्ति पश्चात प्राचार्य से अनुमति ले–ली थी तथा परीक्षा के दौरान अवकाश ले कर ही प्रीविएस की परीक्षा संबंधीजन ने दी है नियुक्त प्राप्त होने के बाद श्री पाठक एम.एस.सी. फाइनल की परीक्षा वर्ष–1987–1988 में प्राचार्य शास. उ.मा.वि. धनपुरी से अनुमति प्राप्त कर दी है। श्री पाठक स्थानांतरित हो कर शा.पू.मा.वि. धोपखरी उपस्थित हुए तथा उसी समय श्री पाठक शा. मार्तण्ड क्र.1 में आसंजित हो कर नियमित अध्यापन किया व परीक्षा में सम्मिलित हुए इस हेतु आवेदक पाली प्रभारी प्राचार्य तत्कालीन से अनुमति प्राप्त की थी ।

श्री पाठक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो के अवलोकन से पाया गया कि परीक्षा के दौरान एवं नियमित कक्षा में उपस्थित के समय वे अवकाश पर थे तथा अवकाश का हक शेष न होने के कारण एल.डब्लू.पी. स्वीकृत किया गया । साथ ही मार्तण्ड एक में आसंजन के समय अनुमति से नियमित अध्यापन कार्य किया । जो ~~सेवा पुस्तिका की~~ छाया प्रति संलग्न की है ।

<u>जॉच निष्कर्ष–संक्षिप्त विवरण</u>

श्री पाठक के विरुद्ध शिकायत जॉच में निष्कर्ष यह है कि संबंधीजन की पदस्थापना शा.पू.मा.वि. धोपखरी में थी और वहाँ से संबंधीजन शा0 मार्तण्ड उ0 मा0 वि0 क्र0–1 रीवा में आसंजित थे प्रथम पाली में शिक्षण कार्य करते थे द्वितीय पाली में कक्षाओं में सम्मिलित होते रहे । अवकाश का हक न होने के कारण एल.डब्लू.पी. स्वीकृत किया गया है जिससे संबंधीजन को दोषी पाया जाना प्रतीत नही होता अस्तु जॉच प्रतिवेदन संलग्न मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत है ।

संलग्न - प्रश्नावली सलग्न

प्राचार्य
शा0 मार्तण्ड उ0 मा0 वि0 क्र0–1
(उत्कृष्ट विद्या0) रीवा (म0प्र0)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल